न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 16/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मेवाराम पुत्र चुतराराम जाति रबारी निवासी उदय नगर (बाडमेर आगोर) तहसील व जिला बाडमेर।		1 सुआ पुत्री जगदीश उर्फ जगाराम प्रतिवादीनी सुआ नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 02 नथूदेवी 2 नथूदेवी पत्नी जगदीश उर्फ जगाराम 3 जोगाराम पुत्र भीखाराम 4 तुलसी पत्नी भीखाराम 5 ठाकराराम 6 डालूराम पिसरान चुतराराम जाति रबारी निवासी उदय नगर बाडमेर आगोर 7 कानूदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी गांधी नगर बाडमेर शहर 8 ठाकरानाथ पुत्र पदमनाथ जाति जोगी निवासी तिलक नगर बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर 9 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री करनाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।

2. श्री चुतरदान, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 18/08/21

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 321 रकबा 24.17 बीघा भूमि की आई हुई है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का संयुक्त कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का 210/497 हिस्सा, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का, 100/497 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 07 का व 20/497 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 08 का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में बाहमी तौर पर भूमि का विभाजन कर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अभिलेख में हिस्सा अंकित नही होने से तथा बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, लिहाजा वादी अपना हिस्सा पृथक करवाने तथा बंटवाड़ा करने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के वकील उपस्थिति। उभय पक्षों द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा भूमि का विभाजन करवाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 08 द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार वाद स्वीकार किया जाकर मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 321 रकबा 24.17 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 08 का हिस्सा निम्नानुसार खातेदारी का घोषित किया जाकर भूमि का विभाजन किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\53 RTA\order 53.docx

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\53 RTA\order 53.docx

क्र सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	बरंग
1	मेवाराम पुत्र चुतराराम, ठाकराराम, डालूराम पिसरान चुतराराम जाति रबारी सा. देह खातेदार	321	10.11	हरा
2	सुआ पुत्री जगदीश उर्फ जगाराम प्रतिवादीनी सुआ नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी नथूदेवी, नथूदेवी पत्नी जगदीश उर्फ जगाराम, जोगाराम पुत्र भीखाराम, तुलसी पत्नी भीखाराम जाति रबारी सा. देह खातेदार	321	08.06	लाल
3	कानूदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी गांधी नगर बाडमेर शहर	321	05.00	पीला
4	ठाकरानाथ पुत्र पदमनाथ जाति जोगी निवासी तिलक नगर बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर	321	01.00	नीला
	योग :–	321	24.17	–

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लगान का निर्धारण करावें। नक्शा में तरमीम करावें। राजीनामा के संलग्न प्रदर्श–1 नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18/09/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर